तथा सभी उपलब्ध रिगों एवं उपस्कर का अधिकतम प्रयोग करके प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति स्कीमों को पूरा करने के लिये निधियां उपलब्ध कराई गई थीं। मूल्यों को नियंत्रण में रखने तथा जमाखोरी एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये तथा राहत-कार्यों में लग मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने के लिये भी खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा प्रदान की गई। दूसरे क्षेत्रों में किफायत बरतकर सूखे के कारण हुये अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये निधियां उपलब्ध कराई गई। सूखे के कारण जिन वस्तुओं तथा सामग्री की मांग बढ़ गई थी उन के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विश्व बैंक तथा दूसरे अभिकरणों से अतिरिक्त बाह्य सहायता प्राप्त की गई थी।

(ख) अप्रैल, 1987 तथा फरवरी, 1988 के बीच उगाही किये गये अधिभार की रकम 26.20 करोड़ रुपये है जिसमें पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्षों तथा सूखे के कारण लगाया गया नया अधिभार भी शामिल है। इसमें से केवल वैयक्तिक आयकर के संदर्भ में ही उगाही की गई सूखा अधिभार की राशि 16.27 करोड़ रुपये है। अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1988-89 में लगभग 100 करोड़ रुपये के अधिभार की उगाही की जा सकेगी।

(ग) सूखा-अधिभार के रूप में उगाही गई रकम केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व में चली जायेगी। सामान्य राजस्व में से राज्यों को सूखा राहत के लिये केन्द्रीय सहायता सामान्य प्रक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है और 8वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें दे दी जाती है।

Water basin authority

231. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Government propose to set up a Water Basin Authority in the country for ensuring maximum utilisation of water and its distribution;

(b) if so, by when the proposed Authority will be set up and what are the details of the composition of the authority; and

(c) to what extent the Water Basin Authority will help in providing water to the needy States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) The National Water Policy envisages integrated planning and development of river basins by appropriate organisations required for the purpose. The issues relating to the form and role of the organisations that may have to be set up have yet to be finalised.

Transfer of police officers in Delhi

232. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there has been a large scale transfer of police officers in the Union Territory of Delhi in the recent weeks; and

(b) if so what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Since 11th April, 1988, 5 Deputy Commissioners of Police including Addl. Deputy Commissioner of Police, 4 Inspectors, 21 Sub-Inspectors and 9 Assistant Sub-Inspectors have been transferred. A new Commissioner of Police has also taken over.

(b) 1 Deputy Commissioner of Police, 1 Addl. Deputy Commissioner of Police, 1 Inspector and 2 Sub-Inspectors have been transferred in pursuance of the recommendations made in the Interim Report of Justice N.N. Goswamy and Justice D. P. Wadhwa Committee. The other transfers were routine.